राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमाँक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/04/2020–21 दिनाँक: 21.03.2020

निविदा–सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित बाग (भगवानसर बस अड्डे के पास) में निम्नलिखित फलदार पौधों से फल तोड़ने का अधिकार वर्ष 2020–21 के लिए खुली बोली/निविदा का आयोजन दिनाँक 15.04.2020 को सायँ 3:00 बजे फार्म मुख्यालय में किया जा रहा है। खुली बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को र 70000/– (रुपये **सत्तर** हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में फार्म खजाँची के पास जमा करवाना होगा। इच्छुक ठेकेदार सीलबन्द टेण्डर जो **निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** के नाम से भेज सकते है।जो इस कार्यालय में नीलामी के दिन दोपहर 1:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिये। सीलबन्द टेण्डर के साथ र 70000/– (रुपये **सत्तर** हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए जो कि **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़"** के नाम से देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट के अभाव में टेण्डर स्वीकार नही होगा। **टेण्डर की कीमत र 118/– भुगतान कर फार्म के उद्यान विभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।**

प्रत्येक निविदादाता को बोली में भाग लेने से पूर्व अपनी पहचान के साक्ष्य के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, जमीन का खसरा–खतोनी आदि में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, यदि बोलीदाता/निविदादाता कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा/अर्न्तनियम पंजीकरण प्रमाण–पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगणों की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

क्रम सं०	फलों के नाम व किस्म	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	सन्तरा, किन्नों	14.80
2	मीठी नारंगी–मोसम्बी	3.85
3	मीठी नारंगी–माल्टा ब्लड रेड	3.20
4	मीठी नारंगी–जाफा, वी–लेट, पाईन एप्पल	2.0
5	ग्रेप फ्रूट	0.25
6	नीम्बू–कागजी व बारहमासी	2.75
7	बेर–उमरान,गोला,सेव,कैथली आदि	4.00
8	अमरूद–लखनऊ–49 व इलाहाबाद सफेदा	8.60
9	आलू बुखारा–कठारूचक	1.00
10	आम–दषहरी, लंगड़ा इत्यादि	0.70
11	आँवला–बनारसी , चकैया व अन्य	3.50
12	बेल पत्र	2.60
13	फालसा, करौंदा, खजूर, जामुन	रोड़ किनारे व बाउण्डरी साईड
	कुल	**47.25**

नोटः– उच्चतम सफल बोली दाता को बोली की 25 फीसदी राषि तुरन्त बोली के बाद जमा करवानी होगी।

उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को स्वीकृति के बाद उच्चतम बोली की 8 प्रतिषत प्रतिभूति राशि 48 घण्टे में जमा करवानी होगी। बोली की नियम व शर्तें बोली से पूर्व उसी दिन पढ़कर सुना दी जावेगी। उपरोक्त खुली बोली की अधिक जानकारी के लिए फार्म के किसी भी कार्यदिवस में निम्न अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट **www.indiaseeds.com** पर भी देखा जा सकता है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

दिनाँक: 21.03.2020

फार्म में बाग के फलों की नीलामी हेतु वर्ष 2020–21 के लिए नियम व शर्तें ।

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण–पत्र व निदेषक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निष्चित की गई धरोहर राषि (ईएमडी) ₹ 70000/– (रुपये सत्तर हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खजाँची के पास जमा कराना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राषि बोली समाप्त होने पर चैक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र–शस्त्र ले जाना निषिद्व है। सन्देहास्पद दशा में तलाशी ली जा सकती है ।

3. फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 48 घण्टों में ठेके की स्वीकृत रकम का 8 प्रतिषत के बराबर प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट / आनलाइन ट्रांसफर द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।

4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नही हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राषि मे समायोजित नहीं की जायेगी।

5. अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता प्रतिभूति राशि 48 घण्टों में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी धरोहर राशि ₹ 70000/– (रुपये सत्तर हजार मात्र) फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

6. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।

7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न–भिन्न निम्नवत होगी:–
(अ) आम, फालसा, आलू–बुखारा – 31 जुलाई, 2020
(ब) नीम्बू (बारहमासी व कागजी) – 31 मार्च, 2021
(स) अमरूद – 28 फरवरी, 2021
(द) माल्टा, मौसम्बी, जाफा व पाईन ऐपल – 31 दिसम्बर, 2020
(य) किन्नों व आँवला – 31 जनवरी, 2021
(र) बेर – 15 अप्रैल, 2021
ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नही होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई

शेष पेज 2 पर.....

शीघ्रातिषीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावष्यक देरी की अनुमति फार्म प्रषासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाईं, दवाओं का छिडकाव व अन्य वांछित कार्य समय–समय पर अनावश्यक व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नही होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोषिष करें।

9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।

10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवष जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीडों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयँ उक्त हानि को वहन करेगा।

11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेगें फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्त्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेगें।

12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेगे जो इस प्रकार होगें–

(अ) माल्टा, मौसम्बी व किन्नों – 4 क्विण्टल
(ब) अमरूद – 3 क्विण्टल
(स) बेर – 2 क्विण्टल
(द) आँवला – 50 किलोग्राम
(य) करौन्दा – 20 किलोग्राम
(र) नीम्बू – 30 किलोग्राम

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैस चुँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयँ वहन करना होगा।

15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गयी किस्तें आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।

शेष पेज 3 पर.....

.16. इस सौदे के लिए र 100/– (रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा।

17. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पषु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास–फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध सम्भव होता है तो फार्म द्वारा निष्चित की गई राषि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजाँची के पास जमा करानी होगी।

18. नीलामी के पश्चात् अगर बोलीदाता समय पर निर्धारित धनराषि जमा नही करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयँ ठेकेदार की होगी। साथ ही देरी से धन राषि जमा करने पर 18 प्रतिषत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा कराना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करने पर बिना सूचना दिये ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बचे फल बिना नीलामी बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोइ विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म की होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।

19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोलीदाता की जिम्मेदारी पर की जायेगी। उस हालत में धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राशि व जो भी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जायेगी।

20. साधारणतयाः फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 7:00 बजे से सायँ 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवा कर गेट पास लेना आवष्यक होगा।

21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र–षस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेष करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नही होगा।

23. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

24. खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें :–

(अ) ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिषत बोली मंजूर होनें के तुरन्त बाद जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राषि तुरन्त जमा करवानें में असमर्थ रहता है तो बकाया राषि (अधिकतम 5 प्रतिषत) दो कार्यदिवस में 18 प्रतिषत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित समस्त धनराषि जमा करने पर ही ठेके का अनुबन्ध किया जायेगा। अगर पूरी राषि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राषि व जमा की गई राषि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है ।

(ब) उच्चतम बोलीदाता को बकाया **75 प्रतिषत** धनराषि निष्चित समय–अन्तरालों पर निम्नवत जमा करवानी होगी ।

(क) 5 प्रतिषत 23.06.2020 को आम, आलुबुखारा व फालसा तोड़नें से पूर्व।
(ख) 15 प्रतिषत 15.07.2020 को या बरसाती अमरूद तोड़नें से पूर्व।
(ग) 10 प्रतिषत 16.08.2020 को या कागजी व बारामासी नीम्बू तोड़नें से पूर्व।
(घ) 20 प्रतिषत 15.09.2020 को या माल्टा, मोसम्बी तोड़नें से पूर्व।
(ङ) 20 प्रतिषत 15.10.2020 को या जाड़े का अमरूद तोड़नें से पूर्व।
(च) 30 प्रतिषत 20.11.2020 को या किन्नों व बैर फल तोड़नें से पूर्व।

25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जायेगा। अंतिम किस्त 20 नवम्बर, 2020 या अंतिम फल के पकने से एक माह पहले, तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करानी होगी।

शेष पेज 4 पर.......

26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराषि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़नें से पूर्व रोक दिया जावेगा। साथ ही देरी से धनराषि जमा करने पर 18 प्रतिषत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पष्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर कर दी जावेगी।

27. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी राषि जो अनुबन्ध में होगी एक मुष्त ही जमा करानी होंगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नही की जायेंगी। अगर किस्त समय पर जमा नही की जाती है तो दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राषि, प्रतिभूति राषि व उस समय तक जमा की गयी सभी राषि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराषि आती है तो वह राषि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।

29 ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जँगली या प्रतिबन्धित जानवरों का षिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेषान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा ।

30. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीडों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी ।

31. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेषकष नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोषिष नहीं करेगा। ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राषि जब्त कर उसके विरूद्द कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

32. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयँ किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राषि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।

33. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवष्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दषा में ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा।

34. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार की किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दषा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष सह–प्रबन्धक निदेषक को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयँ अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक सोल आर्बिटेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेषन एन्ड कानसिलिएषन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत कराये। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दषा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेषन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

35. आर्बिटेषन एन्ड कानसिलिएषन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा ।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक